



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224349
CG-DL-E-12012021-224349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942

No. 91]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

का.आ.105(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26 क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है।

2. उक्त विशेष न्यायालय की अधिकारिता संपूर्ण बिहार राज्य में होगी।

[फा. सं. 10/49/2017- भाग]

आनंद मोहन बजाज, अतिरिक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

S. O. 105(E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, after obtaining the concurrence of Hon'ble Chief Justice of the High Court of Patna, hereby designates the Court of Additional District and Sessions Judge, Patna as the Special Court under the aforesaid Acts.

2. The said Special Court shall have jurisdiction throughout the State of Bihar.

[F.No.10/49/2017-PM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy. (Financial Markets)